

भारतीय मानक ब्यूरो / BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(प्रशासनविभाग/Administration Department)

परिपत्र/ CIRCULAR

विषय: दूसरा चरण- कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण कैंप का आयोजन संबन्धित।

उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली में एक बार फिर से 2 दिनों के लिए मुफ्त टीकाकरण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में यह पाया गया है कि कुछ अधिकारी, कर्मचारी गण, पेंशनभोगी एवं संविदा कर्मियों सहित को टीकाकरण नहीं हो पाया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण कैंप का आयोजन 10 अगस्त 2021 (मंगलवार) से 11 अगस्त 2021 (बुधवार) तक किया जा रहा है।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली में 2 दिनों के लिए निम्न विवरण अनुसार मुफ्त टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

दिनांक	समय	न्यूनतम आयु वर्ग	कोविड-19 टीकाकरण डोज	टीकाकरण स्थल
10 अगस्त 2021 (मंगलवार) से 11 अगस्त 2021 (बुधवार)	सुबह 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक	18 वर्ष	केवल द्वितीय डोज	बीआईएस क्लब रूम, भारतीय मानक ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली

नोट: स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस स्टेशन आईपी एस्टेट / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यालय का संचालन होगा एवं उसी प्रकार से मुफ्त टीकाकरण कैंप का आयोजन के समय का पालन किया जायेगा।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का पालन करना अनिवार्य है:

- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 (covid behaviour protocol) का पालन एवं महामारी से बचाव हेतु दिशानिर्देशों का पालन जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दुरी इत्यादि।
- टीकाकरण कैंप के लिए सभी से अनुरोध है कि निम्न प्रोफॉर्मा अनुसार आवश्यक जानकारी भरकर प्रशासन विभाग को दिनांक ई-मेल (administration@bis.gov.in) के माध्यम से पहले ही बता दे, ताकि टीकाकरण कैंप में भीड़ एकत्रित न हो सके और अगले दिन टीकाकरण करवाने की जानकारी दी जा सके एवं टीकाकरण के लिए प्राथमिकता ब्यूरो के कर्मियों को दी जाएगी।

नाम	पदनाम	आयु	विभाग	संबन्धित सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि	आश्रितो का कर्मचारी से संबंध	मोबाइल नंबर

- iii. टीकाकरण हेतु cowin.gov.in अथवा Arogyasetu App द्वारा पंजीकरण करवाना प्रार्थनीय है।
- iv. टीकाकरण कैंप की टीम द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अपेक्षित है।
- v. टीकाकरण हेतु साथ मे संबन्धित पहचान पत्र / आधार कार्ड आदि लाना अनिवार्य है।
- vi. निर्धारित दिन एवं समय मे आयोजित टीकाकरण कैंप में टीका लगवा कर इस कैंप को सफल बनाए।
4. यह सक्षम प्राधिकारी महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(संदीप मीना)

निदेशक (प्रशासन)

संदर्भ: प्रशासन/02/62/2021

बीआईएस इंट्रानेट के माध्यम से मुख्यालय, उप महानिदेशक (मध्य क्षेत्रीय कार्यालय), सीआरओ, डीएलबीओ-1, डीएलबीओ-2, फ़रीदाबाद शाखा कार्यालय, गाजियाबाद शाखा कार्यालय, केंद्रीय प्रयोगशाला एवं एनएस.टी.आई..के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, संविदा कर्मियों सहित को परिचालित।